राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर
जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
Phone & Fax-0141- 2222403/2223239 web- www.lsgraj.org E-mail ID_ dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए/16 - 1890-1903 दिनांक: 01-5-2017

स्थान परिवर्तन स्वीकृति

जिला कलक्टर सिरोही के पत्र क्रमांक मुजस्वाअभि/शहरी/2016–17/1333 दिनांक 30.3.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) प्रथम चरण के अन्तर्गत सिरोही व आबूरोड शहर में "रूफ टॉप रैन वाटर हारवेस्टिंग संरचना निर्माण" के लिये अनुमोदित कार्यों में से सिरोही में 02 एवं आबूरोड में 01 **(कुल 03)** कार्य/स्थान ऐसे है जहां प्रस्तावित स्थल पर वाटर हारवेस्टिंग संरचना लगाया जाना संभव नही है।

अतः इन 03 स्थानों को परिवर्तित किये जाने हेतु जिला कलक्टर सिरोही के प्रस्तावनुसार निम्नानुसार स्थान परिवर्तन की स्वीकृति जारी की जाती है:

क्र सं	कार्य का नाम	पूर्ण में चिन्हित स्थान	परिवर्तित किये जाने हेतु स्वीकृत स्थान	विशेष विवरण
1	रूफ टॉप रैन वाटर हारवेस्टिंग संरचना	तहसील कार्यालय सिरोही	वन विभाग, नर्सरी भवन सिरोही	तहसील कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार भवन को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जर्जर घोषित किया गया है, जिससे इस भवन दर स्ट्रक्चर बनाया जाना उचित नहीं है।
2	रूफ टॉप रैन वाटर हारवेस्टिंग संरचना	खनि अभियंता कार्यालय सिरोही	जो.वि.वि.नि.लि. अधीक्षण अभियंता कार्यालय गोयली रोड सिरोही	खनि अभियंता कार्यालय भवन पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रैन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम स्थापित कर दिया गया हैं।
3.	रूफ टॉप रैन वाटर हारवेस्टिंग संरचना	न्यायालय भवन, आबूरोड	राजकीय कन्या आश्रम छात्रावास, मानपुर	पलिका द्वारा न्यायालय कार्यालय को पत्र लिख कर एवं व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर रूफ टॉप रैन वाटर हारवेस्टिंग संरचना व परकोलेशन पिट का निर्माण कार्य के लिये स्थान निर्धारण करने हेतु प्रयास किया गया किन्तु आज दिनांक तक न्यायालय

कृ.प.उ.

				कार्यालय में कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। न्यायालय कार्यालय द्वारा उच्च स्तर पर उक्त कार्य की अनुमति हेतु मार्गदर्शन के लिये पत्र व्यवहार किया गया जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में कार्य नही करवाया जा सकता।

नोटः

1. भविष्य में ऐसे स्थान का चयन नहीं किया जाये जहां वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाना संभव नही है।
2. उपरोक्त कार्य आवंटित राशि तक की सीमा में ही करवाये जावें।
3. उक्त कार्यो की वित्तीय स्वीकृति संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा की जावेगी।
4. उक्त कार्यो की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से जारी करवाये जाने के उपरान्त ही कार्य करवाये जावें।
5. कार्य के एवज में भुगतान संबंधित जिला कलक्टर के अनुमोदन के बाद किया जावें।
6. कार्य करवाते समय राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावें।
7. कार्य पूर्ण होने पर उपयेागिता प्रमाण पत्र निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे।
8. कार्यो के संबंध में समय–समय पर येाजनांतर्गत जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए/2016/1890-1903 दिनांकः 01-5-2017
प्रतिलिपी : – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन व नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
7. जिला कलेक्टर, सिरोही को उनके पत्र कमांक 1333 दिनांक 30.3.2017 कम में।
8. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
9. क्षैत्रीय उप निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जोधपुर।
10. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, सिरोही/आबूरोड।
11. सुमनेश माथुर, अधीक्षण अभियंता, नगर निगम, जोधपुर।
12. प्रभारी, आई.टी. प्रकोष्ठ, निदेशालय।

(भूपेन्द्र कुमार माथुर)
मुख्य अभियंता